

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

**Concern over legal challenge to the Constitution (97th Amendment) Act, 2011
regarding Cooperative Societies**

डा. चन्द्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, देश का सहकारी क्षेत्र ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में 40 करोड़ लोग सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं और आठ लाख सहकारी संस्थाएँ हैं। चूंकि प्रदेश का विषय होने के कारण विभिन्न प्रदेशों के जो कानून हैं, वे अलग-अलग तरीके के बने हुए हैं। उन कानूनों में पारदर्शिता लाने के लिए, उन कानूनों में समानता लाने के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 97th Constitutional Amendment 2011 में लाया गया। माननीय सभापति जी, दोनों सदनों से यह सर्व-सम्मति से पास हुआ। इसका फरवरी, 2012 में नोटिफिकेशन हो गया और 16 राज्यों ने इस परिप्रेक्ष्य में अपने कानून में परिवर्तन भी कर लिया, लेकिन गुजरात के व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय में संसदीय प्रक्रिया में लैप्स होने के कारण उसमें स्थगन आदेश ले लिया।

सभापति महोदय, 10 वर्षों से यह Constitution Amendment pending है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरे देश में इसके ऊपर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में सरकार प्रभावी कदम उठाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो मुकदमा पेंडिंग है, उसकी प्रभावी पैरवी करके इस देश के 40 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

†جاوید علی خان (اترپردیش): مہودے، میں ماننیے سڈسنیے کے ذریعہ اٹھائے
گئے موضوع سے خود کو سمبڈ کرتا ہوں۔

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

†Transliteration in Urdu script.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need to include Bhojpuri in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। यह मामला 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वालों की भावना से जुड़ा हुआ है। इस देश में करीब 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और करीब सात-आठ करोड़ लोग विदेशों में भी बोलते हैं। भोजपुरी बोलने वालों की बहुत सालों से भावना है कि उनकी भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए, जिससे कि इसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह मिल सके। भोजपुरी भाषा न केवल भारत में बोली जाती है, बल्कि मॉरीशस में, सूरीनाम में, युगांडा में, मालदीव में और नेपाल में बोली जाती है। सर, विशेषकर नेपाल और मॉरीशस में इसको संवैधानिक स्तर भी दे दिया गया है। सर, मुझे आपसे इसके लिए अनुरोध करना है। यह बात संसद में 1969 से उठाई जा रही है। हम लोग पचास साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको आठवीं सूची में डाला जाए।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली बार यूपीए सरकार में उस समय के गृह मंत्री जी ने जो कभी-कभी हिन्दी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में बोला था कि "हम रउआ सबै के भावना के समझत बानी", लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं है।

सर, मुझे एक बात और कहनी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश-विदेश में बसे करोड़ों भोजपुरी बोलने वालों की भावनाओं को समझें और जल्द से जल्दी विधेयक लाकर भोजपुरी को आठवीं सूची में शामिल किया जाए, धन्यवाद।

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.